मुख्यालय राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल मध्यप्रदेश
नूरबाग कैम्प जहांगीराबाद भोपाल म0प्र0462001

/ विज्ञप्ति /

राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के भवन / परिसर मे साफ सफाई व्यवस्था हेतु सेवायें प्राप्त किये जाने बावत

निविदा सूचना

कमांक / / निस / डीजी / आ.प्र. / 2023 भोपाल दिनांक / / 2024

राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल मध्यप्रदेश भोपाल के निम्नानुसार कार्यालय / परिसर की साफ–सफाई कार्य 12 माह हेतु सेवा प्रदाता एंजेसी / सख्याओं के माध्यम से निविदायें आमत्रित की जाती है

क.	कार्यालय का नाम	क्षेत्रफल	रिमार्क
01	राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल मध्यप्रदेश भोपाल।	68,394, वर्गफुट।	कुल क्षेत्रफल की साफ सफाई व्यवस्था हेतु।

उक्त स्वीकृति अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रदान किया जावेगा एवं संतोषजनक / असंतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध अवधि मे परिवर्तन किया जा सकता है।

उपरोक्त कार्यालयों में प्रतिदिन साफ–सफाई हेतु निम्नलिखित अनुबंध की शर्तो के अनुसार निविदा जारी की जायेगी :–

1. राज्य आपात कालीन मोचन बल मुख्यालय भोपाल में विहित रीति से संतोषजनक ढंग से प्रतिदिन साफ–सफाई हेतु 6 अकुशल सफाई कर्मी एवं 01 सुपरवाईजर रखा जाना है। कर्मचारी कार्यालय मे समय 9:00 से 17:00 बजे तक कार्यालय में रहे।
2. कार्यालय की साफ–सफाई प्रतिदिन प्रातः 10 बजे के पूर्व किया जाना है। साफ–सफाई कार्य का समय पर निरीक्षण किया जावें।
3. अनियमितता पाये जाने पर ठेकेदार के विरूध्द कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारी की फोटोयुक्त नामजद सूची उपलब्ध करवाये जाने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता होगी।
4. फर्म द्वारा साफ–सफाई कार्य में लगाये जाने वाले कर्मियों की पूर्व लिखित सूचना कार्यालय राज्य आपात कालीन मोचन बल मुख्यालय भोपाल को इनकी व्यक्तिगत जानकारी सहित देना अनिवार्य होगा । कोई भी सफाई कर्मी संदेहास्पद चरित्र व आचरण अनियमतता के लिए दोषी पाया जाता है तो ठेकेदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। निविदा कर्ता द्वारा लगाये गये कर्मचारी को वेतन इत्यादि श्रम विभाग के निमयों के प्रकाश में निर्धारित करने एवं देने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की स्वंय होगी। इस सबंध मे विवाद की स्थिति में इस कार्यालय की जिम्मेंदारी नही होगी।
5. संभागीय सेनानी एसडीईआरएफ भोपाल के नाम से 2 सील बंद लिफाफे पृष्ट पृथक जमा करना होगा, जिसमे एक लिफाफे मे तकनीकी दस्तावेज एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय दर प्रस्तुत करेगें।

उपरोक्त कार्यालय की साफ–सफाई हेतु निविदा प्रकिया की समय सारणी निम्नानुसार हैः–

कमांक	निविदा प्रक्रिया का विवरण	तिथि व समय
10	निविदा शुल्क का मूल्य	1000=00 रूपये मात्र
11	निविदा प्रतिभूति	36000 / –रू
12	निविदा प्रपत्र / शर्ते प्राप्त करने की प्रारंम्भ दिनांक व समय	03.01.2024
13	निविदा जमा करने की प्रारंम्भ दिनांक व समय	03.01.2024 समय– 1100 बजे
14	निविदा जमा की अंतिम दिनांक व समय	23.01.2024 समय– 1700 बजे
15	निविदा खोलने का दिनांक समय व स्थान	24.01.2024 समय– 1100 बजे एसडीईआरएफ मुख्यालय भोपाल

6. निविदा शुल्क राशि रू 1000 / – संभागीय सेनानी एसडीईआरएफ भोपाल के नाम से ट्रेजरी / बैंक चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।

7.निविदा फर्म प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://homeguard.mp.gov.in/tenders पर या http://mppolice.gov.in/tenders पर देखें।

02/1/24

संभागीय सेनानी
एसडीईआरएफ भोपाल

मुख्यालय राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल मध्यप्रदेश

होमगार्ड मुख्यालय परसिर,नूरबाग कैम्प जहांगीराबाद भोपाल म0प्र0462001

राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के कार्यालय भवन/परिसर की साफ–सफाई सेवाओं के लिए निविदा पत्र

एजेंसी/संस्था प्रमुख अथवा निविदा प्रस्तुतकर्ता का राजपत्रि अधिकारी से सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें।

प्रति,

एजेंसी/संस्था प्रमुख

डायरेक्टर जनरल,
होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबधंन मध्यप्रदेश

–:000:–

1. सेवा प्रदाता निविदाकार एजेंसी का नाम :–
2. सेवा प्रदाता एजेंसी/संस्था प्रमुख का नाम :–
3. सेवा प्रदाता एजेंसी/संस्था प्रमुख का पता
4. सेवा प्रदाता एजेंसी का कार्यालय पता
5. सेवा प्रदाता एजेंसी/सस्था का पंजीयन क्र0
6. सेवा प्रदाता एजेंसी/संस्था का पेन
7. दूरभाष क्रमांक
8. ईमेल आई0डी
9. पूर्व में कार्य किये गये है, तो उल्लेख करें
   (यदि कोई हो तो)

सेवा प्रदाता का नाम/पंजीयन /स्टाम्प

–: स्व –घोषणा प्रमाण पत्र :–

मेरे द्वारा उपरोक्तनुसार निविदा आवेदन मे दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जिसमें कोइ भी त्रुटि/असत्यता पायी जाने पर निविदाकार स्वंय जिम्मेदारी रहेगा/रहेगी।

सेवा प्रदाता का नाम/पंजीयन/स्टाम्प

मुख्यालय होमगार्ड,नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश
जहागीराबाद भोपाल
Tender Notice (निविदा) नोटिस

कमांक / 01 / आ.प्र / भण्डार / 2023 भोपाल दिनांक 02 / 01 / 2024

होमगार्ड,नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन भोपाल मे स्थित एसडीईआरएफ स्टेट कमाण्ड सेंटर उपमहानिरीक्षक कार्यालय, एमआई रूम,डीजी एडीजी कार्यालय, शौचालय कम्पलेक्स, होमगार्ड, लाइन जिला सेनानी आपदा प्रबंधन कार्यालय, नई बैरक ट्रेनिंग सेंटर–2, ट्रेनिंग हॉस्टल, कार्यालय नवीन बिल्डिंग, स्टेट डाटा सेंटर, व्ही सी रूम, एमटी एरिया, नवीन बैरिक–02 एवं बाथमरूम सहित संपूर्ण परिसर की साफ सफाई ग्राउंड इत्यादि के रख–रखाव बगीचों की देखरेख का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराने के लिए ऐसे अनुभवी फर्म / इच्छुक व्यक्तियों से जिन्होंने केन्द्रीय / राज्य शासन के विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा केन्द्र राज्य सरकार से विधि द्वारा स्थापित किसी भी स्वायत्त संस्थान में हाउसकीपिंग एवं इस प्रकार का कार्य कम से कम में 15 लाख रुपये का कार्य पिछले तीन वर्षो में किया हो मासिक आधार पर ई–निविदा दो सील बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। कार्य से संबंधित समस्त सामग्री निविदाकार की रहेगी।

क्र	कार्य का नाम	भवन का क्षेत्रफल	सुरक्षा निधि
1	एसडीईआरएफ स्टेट कमाण्ड सेन्टर,उप पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, एम.आई. रूम, डीजी,एडीजी, कार्यालय, शौचालय कॉम्प्लेक्स, होमगार्ड लाईन, जिला सेनानी आपदा प्रबंधन, नई बैरिक, ट्रेनिंग सेन्टर–2 ट्रेनिंग हॉस्टल कैम्प कार्यालय, नवीन बिल्डिंग व्ही.सी. रूम, एमटी एसडीईआरएफ का ग्राउंड 2 नवीन बैरेक एमटी एरिया, नवीन बैरिक–02 एवं बाथरूम, सहित सम्पूर्ण परिसर की साफ–सफाई,ग्राउंड इत्यादि के रख–रखाव बगीचो की देख रेख का कार्य।	68,394 वर्गफुट	36000 / –रू

1:– निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा शुल्क 1000 रू है जो कि डीडी फार्म मे डिवीजनल कमाण्डेट एसडीईआरएफ भोपाल के नाम से देय होगा, जो कि निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने के पूर्व कार्यालय मे जमा करना होगा किसी स्थिति मे वापसी योग्य नही होगा और न ही इसमे किसी प्रकार की छूट दी जावेगी।

2:– सुरक्षा निधि किसी भी वाणिज्यिक बैंक के द्वारा एफडीआर / डीडी फार्म मे 36000 रू डिवीजनल कमाण्डेट एसडीईआरएफ के नाम से ऑफलाईन जमा करना आवश्यक है।

02/01/24

डिवीजनल कमाण्डेंट
एसडीईआरएफ म.प्र

2. – निविदा की सामान्य शर्तें:–

2.1– निविदाकर्ता निविदा मान्य होने की स्थिति में कार्य का आदेश जारी होने के एक सप्ताह की अवधि में रूपये 1000/– के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षरित कर कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

2.2– फर्म अथवा निविदाकर्ता द्वारा अपना जो भी विवरण निविदा के प्रपत्रो में किया जायेगा वह स्पष्ट एवं हिंदी भाषा में लेख किया जाये।

2.3– निविदा स्वीकृति के बाद यदि कोई कर देय पाया जाता है तो निविदादाता फर्म द्वारा अदा किया जाएगा, साथ ही यह निविदादाता की योग्यता का कारण भी होगा एवं ऐसी दशा में अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

2.4– निविदा प्रपत्र पूर्णतः स्पष्ट पूर्ण करना होगा। निविदा में कोई परिवर्तन तथा कोई परिवर्धन, कोई ऊपरी लेखन (ओवर राइटिंग) सफेद फ्ल्यूड से नहीं की जानी चाहिये। ऐसा करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

2.5– मांग किये गये कामगारों के मान से यदि वित्तीय निविदा में नियत दर से कम राशि प्राप्त होती है, तो वित्तीय निविदा को निरस्त माना जायेगा ,और ऐसे निरस्त वित्तीय निविदाकरो को पृथक करने के बाद शेष और ऐसे अयोग्य किये गये निविदाकार के बाद शेष सफल निविदाकारों से ही न्यूनतम दर फीड करने वाले फर्म की निविदा स्वीकृत की जायेगी।

3. नियोक्ता का विशेष अधिकार

3.1– सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पश्चात कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं किया जाता है, अथवा कार्य छोड़ता या कार्य करने में असफल रहता है तथा इस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन द्वारा कार्य की संतुष्टि न होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने या किसी अधिकारी से शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी की अनुशंसा से सहमत होने की ऐसी स्थिति में विभाग को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना दिए, निविदा अनुबंध समाप्त कर जमा सुरक्षा निधि को पूर्णत राजसात कर, शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार को दिया जा सकेगा। एक वर्ष के लिये निर्धारित अवधि पूर्ण करने पर सफलतापूर्वक कार्य संपादित किये जाने के उपरांत ही सुरक्षानिधि की राशि वापस लौटाई जायेगी। इस पर किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा। इसके लिये किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार/ दावा मान्य नहीं होगा।

3.2– सफल निविदादाता फर्म द्वारा निविदा स्वीकृत होने तथा अनुबंध करने से पूर्व, यदि लिखित आवेदन देकर निविदा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है. तो उक्त आवेदन पर उसकी निविदा निरस्त कर जमा सुरक्षा निधि की पूर्ण राशि राजसात कर ली जायेगी।

3.3– किसी भी प्रकार के विलंब पर हुए अर्थदण्ड की भरपाई संबंधित फर्म द्वारा की जायेगी।.

3.4– महानिदेशक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन बिना कारण बताये निविदा को निरस्त अथवा अस्वीकृत कर सकते है। सबसे कम दर की निविदा स्वीकृत करने के लिये महानिदेशक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन बाध्य नहीं है। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करना महानिदेशक होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के विवेक पर निर्भर करेगा। इस सबंध में निविदाकार द्वारा किया गया कोई पत्राचार मान्य नहीं किया जायेगा।

3.5– निविदाकर्ता द्वारा किये गये अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर फर्म को 30 दिन का नोटिस दिया जाकर एक निश्चित अवधि के लिये काली सूची में रखा जा सकेगा तथा उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी।

4–सुरक्षा निधि

- प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा प्रतिभूति कुल निविदा की स्वीकृत राशि का 3 प्रतिशत/ – एफडीआर/बीजी जमा करना अनिवार्य है।
- न्यूनतम दर मान्य होने पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कुल निविदा लागत का 3 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति के रूप में निविदाकर्ता के द्वारा किसी भी भारतीय वाणिज्य बैंक से डिवीजनल कमाण्डेन्ट एसडीईआरएफ के नाम से जमा करना होगी।
- निविदा के साथ जमा प्रतिभूति राशि को समायोजित की जायेगी। एफ.डी. किसी भी वाणिज्यिक बैंक की ही मान्य होगी।
- सुरक्षा निधि बैंक की एफडी/बैंक गारंटी के रूप में निविदा की अवधि से 6 माह बाद तक के लिए जमा करना होगा।
- प्रस्तुत निविदा स्वीकृत/मान्य होने के आदेश एक वर्ष तक मान्य रहेगी एवं कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

5. तकनीकी योग्यता मापदण्ड

5.1– 15 लाख रूपये का कार्य पिछले 3 वर्षो (वर्ष 2020–2021 एवं 2021–21022 2022–23) का अनुभव एवं विगत 3 वर्षों में इनकम टैक्स जमा एवं जीएसटी जमा करने की सी.ए. से सत्यापित प्रति कार्यपूर्णता का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।

5.2– फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन एवं लेबर एक्ट के तहत पंजीयन ईपीएफ अधिनियम ईजीआईएस जीएसटी, लेबर लाईसेंस, लेबर वेलफेयर लायसेंस, प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।

5.3– फर्म के पास विगत 2 वर्षो में न्यूनतम 20 श्रमिको के साथ एक कार्यालय परिसर की सफाई एवं निविदा में चाहे गये कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है।

5.4– फर्म के द्वारा विगत अन्तिम 3 माह में उनके अधीन कार्य करने का श्रमिको का ईपीएफ, ईएसआईसी की राशि जमा कराने का रिकार्ड भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.5– तकनीकी ई निविदा में उपयुक्त होने पर ही व्यवसायिक निविदा खोली जायेगी।

5.6– तकनीकी ई निविदा में दरें प्रस्तुत नहीं की जावे अन्यथा संबंधित फर्म की निविदा अनुपयुक्त मानी जायेगी।

5.7– विडर प्रिमाईसिस का साईट निरीक्षण कार्यालयीयन समय मे कर अपनी व्यवसायिक दर भरना सुनिश्चित करें।

5.8– निविदाकार का स्थानीय कार्यालय भोपाल होना चाहिये, इस हेतु निविदकार को नगर निगम से जारी गुमास्ता की कॉपी निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6. व्यावसायिक निविदाः–

न्यूनतम दर का निर्धारण कर सहित दर पर किया जायेगा।

7 कार्य का स्वरूप

7.1– होमगार्ड,नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन भोपाल मे स्थित एसडीईआरएफ स्टेट कमाण्ड सेंटर उपमहानिरीक्षक कार्यालय, एमआई रूम,डीजी एडीजी कार्यालय, शौचालय कम्पलेक्स, होमगार्ड, लाइन जिला सेनानी आपदा प्रबंधन कार्यालय, नई बैरक ट्रेनिंग सेंटर–2, ट्रेनिंग हॉस्टल, कार्यालय नवीन बिल्डिंग, स्टेट डाटा सेंटर, व्हीसी सी रूम, एमटी एरिया, नवीन बैरिक–02 एवं बाथमरूम सहित संपूर्ण परिसर की साफ सफाई ग्राउंड इत्यादि के रख–रखाव बगीचों की देखरेख का कार्य।

7.2– होमगार्ड,नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन भोपाल भवन मे कार्य करने वाले साफ–सफाई कर्मियो को विधुत पेनल के बारे मे प्रशिक्षित किया जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा भी कार्य किया जा सकेगा। उक्त कार्य मे नियोजित सफाईकर्मी की उम्र 45 वर्ष से कम रखा जाये।

8. सफाई व्यवस्था की शर्ते

8.1– अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त सफाई व्यवस्था हेतु जारी सपूर्ण निविदा का पालन करना भी निविदादाता फर्म का अनिवार्य कर्तव्य होगा।

8.2–निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में मवेशी / जानवर / कुत्ते / बिल्ली / चमगादड / मधुमक्खी / मक्खिया / कबूतर आदि से मुक्त

वातावरण बना रहे एंव मधु ततैया (बरैया) का छत्ता निकालने एवं मकड़ी जाला पूर्णत रोकना सुनिश्चित करना होगा

8.3– प्रत्येक अवकाशों में जानवरों/पक्षियों द्वारा की गई विष्ठा, बीट आदि सीढ़ियों की फर्स तथा कोनो मे लगे समस्त प्रकार के दाग धब्बे की पानी से धुलाई करना, कार्यालय परिसर में फैले कचड़े के समान को, कर्मचारियों द्वारा भोजन के उपरान्त फेंके गये गये कागज तथा जानवरों द्वारा की गई गंदगी दैनिक रूप से सफाई करना अनिवार्य होगी।

8.4– समस्त प्रकार की बकेट, डस्टबिन्स एवं रद्दी की टोकरियां मकड़ी जाले आदि की सफाई उस कूड़ा कचरे को इकट्ठा करके तयशुदा जगह पर निष्पादन हेतु भेजना होगा एवं नगरनिगम द्वारा साफ सफाई के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

8.5– समस्त प्रकार के डस्टबिन को दाग रहित रखना। समस्त प्रकार के डस्टबिन के समस्त प्रकार के कचरे को प्रतिदिन निर्धारित स्थान पर निष्पादन हेतु पहुंचाना अनिवार्य है।

8.6– कार्यालय परिसर स्थित ड्रेनेज सिस्टम चॉक हो जाने पर तत्काल सुधार कार्य करना।

8.7– कार्यालय के समस्त विभाग प्रशासकीय कक्षों में निर्देशित की गई जगहों पर रूम फैशनर स्प्रे का छिड़काव करना तथा टॉयलट्स में आई एस आई मार्क वाली लिक्विड हेंड शोप टॉयलेट रोल्स रखना अनिवार्य है। वरिष्ठ अधिकारियों के कक्षो कार्यालयो की सफाई फिनाईल से पोछा लगाकर प्रतिदिन 2 बार अथवा इससे अधिक बार आवश्यकता अनुसार करना अनिवार्य है।

8.8– भूतल तथा उससे उपर की मंजिल पर स्थित पानी की टंकियो प्रातः 0900 बजे तक पानी चढ़ चाहिये। पानी टकियों में न चढ़ पाने की स्थितियों से टंकियो को बाल्टियो से पानी भरने का दयित्व निविदाकार का ही होगा। कार्यालय परिसर की छत पर रखी हुई टंकियों की सफाई प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एक बार करना तथा सफाई का दिनांक अंकित करना अनिवार्य है।

8.9– यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि कार्यालय/कक्षो की सफाई प्रातः 10:00 बजे से पूर्व पूर्ण हो जाये। सडक/ गैलरियो/ पार्किंग स्थल में आवश्यकतानुसार झाड़ू/पोछा लगाया जाना अनिवार्य होगा।

8.10–अधिकारियो के कक्ष मे स्थित टॉयलेट्स प्रतिदिन सफाई एवं टावेल को सप्ताह मे एक बार अनिवार्य रूप से धुलाई करना होगा।

8.11.–सार्वजनिक शौचालयों का दिन में कम से कम तीन बार सफाई करना अनिवार्य होगा,

8.12–छः–छः (6–6) माह के अन्तराल पर विद्युत पैनल एवं प्रभारी अधिकारी के द्वारा बताई गई संवेदनशील स्थानो की सर्विसिंग कराना अनिवार्य है।

9 .श्रमिक की शर्तेः–

9.1–होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन भोपाल मुख्यालय हेतु संलग्न सूची अनुसार 08 कर्मचारी रखे जाना अनिवार्य है जो अपने निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करेगें । कर्मचारियों सूची **परिशिष्ट–अ** पर संलग्न है। निर्धारित क्षेत्र की समुचित साफ–सफाई हेतु उपरोक्त संख्या में कर्मचारियों की न्यून आवश्यकता है। निविदाकार आवश्यकताअनुसार कर्मचारियों की संख्या बढा सकता है।

9.2–निविदकार को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा में दर्शाये गये कार्य हेतु तैनात किए जाने वाले प्रत्येक कामगारों के मासिक रोस्टर की प्रति, संबंधित सफाई व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमांण्डर से सत्यापित कराकर अनिवार्य रुप से माह के प्रथम सप्ताह में कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जानी होगी जिसमें कर्मचारी का नाम, पिता का नाम,आधार न. फोटो एवं हस्ताक्षर हो ।

9.3–कामगारों को साप्ताहिक अवकाश/अन्य अवकाश प्रदाय करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। अवकाश पर जाने वाले कर्मचारी के स्थान पर तैनात किए गए नए कर्मचारी की सूचना एवं संलग्न कर इस कार्यालय को प्रदान किया जान अनिवार्य होगा।

9.4–रोस्टर अनुसार सफाईकर्मी निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए पाना चाहिए। भौतिक निरीक्षण के दौरान कामगारों रोस्टर अनुसार निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए नहीं पाए जाने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य स्थल पर कार्य करते हुए पाए जाने पर, फर्म की कार्य के प्रति लापरवाही समझी जावेगी। जिसके दण्डस्वरुप विभाग, फर्म के विरुद्ध अर्थ शास्ति अधिरोपित करने की हकदार होगी तथा विभाग द्वारा लगाई गई अर्थ शास्ति निविदादाता फर्म को भरना अथवा अपने देयक से कटौत्रा कराना अनिवार्य होगा।

9.5–समस्त कामगार निविदादाता फर्म के नियंत्रण में कार्य करेंगे। किसी भी कामगारों की अनुपस्थिति, अवकाश, बीमारी, मृत्यु इत्यादि की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। निविदादाता फर्म यह सुनिश्चत करें कि उसके द्वारा नियुक्त समस्त कामगारों का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। यदि कोई कर्मचारी आपराधिक कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा एवं पुलिस द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में आपको पूर्णतः सहयोग प्रदान करना होगा।

9.6–निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त कामगारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए। सभी सफाईकर्मी शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट/ स्वस्थ होना चाहिए। निविदाकार फर्म, सफाई कार्य हेतु बाल श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेगी। ऐसा पाए जाने पर श्रम अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

9.7–कामगारों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपना कर्तव्य पूर्ण ईमानदारी एवं कठोर अनुशासन एवं लगन से पूर्ण करेंगे। विभाग में मर्यादित आचरण रखेंगे। किसी भी प्रकार की नारेबाजी आदि से दूर रहेंगे।

9.8–कामगारों के कर्तव्य स्थल अथवा स्थल से बाहर दुर्घटना होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि आदि देने के जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इस हादसा/घटना से विभाग का कोई संबंध नहीं

होगा ओर न ही कोई कामगार विभाग से जुर्माना या हर्जाना मांगने का हकदार होगा। फर्म को कामगारों का स्वास्थ्य बीमा ओर दुर्घटना बीमा करना अनिवार्य होगा।

9.9—कामगारों अथवा फर्म द्वारा संस्था को किसी भी प्रकार की क्षति/हानि पहुँचाने अथवा भवन में लगी संपत्ति का आर्थिक नुकसान/चोरी करने/होने पर उसकी भरपाई निविदादाता फर्म के मासिक भुगतान अथवा अग्रिम धरोहर राशि से वसूल की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

9.10—प्रत्येक कामगारों का कार्य समय 8 घंटे का होगा, कार्य समय में उसके द्वारा निर्धारित कर्तव्य स्थल की साफ—सफाई करना होगी। सफाई कार्य मुश्तैदी से करने हेतु, कामगार नियमित रुप से कर्तव्य स्थल पर सफाई कार्य करेंगे एक ही स्थान पर बैठे नहीं रहेगे।

9.11—कामगारों का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्तव्य स्थल की संपूर्ण कार्य तालिका अनुसार संपादित करें ।

9.12 आपातकालीन स्थिति जैसे हड़ताल अथवा किसी विशेष आयोजन पर अथवा राष्ट्रीय पर्व, स्वच्छता दिवस इत्यादि पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9.13—कोई भी कर्मचारीं संदेहास्पद चरित्र व गलत आचारण का नही होना चाहिए, किसी भी अनियमितता के लिए निविदाकार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी । तैनात कर्मचारियों का पुलिस से चरित्र सत्यापन कराया जा कर प्रस्तुत करना होगा। सभी कर्मचारियों वर्दी एवं फोटो युक्त परिचय पत्र धारण करना अनिवार्य है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र मूल रुप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कि स्थिति में देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

9.14—परिशिष्ट—अ अनुसार तय किये गये अकुशल सफाई कर्मियों की संख्या में से न्यूनतम 50 प्रतिशत का कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहना अनिवार्य है ताकि प्रभारी अधिकारी के द्वारा निर्देश दिये जाने पर संबंधित जगह की सफाई बेहतर तरीके से की जा सके।

9.15—चयनित निविदाकार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने समस्त अकुशल सफाई कर्मियों को निर्धारित गणवेश में रखेंगे। जिसका कि प्रारूप प्रभारी अधिकारी एसडीईआरएफ से मिलकर तय किया जा सकेगा।

9.16—चयनित निविदाकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपने समस्त कर्मियो की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

10 कार्य की शर्ते

10.1—होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन भोपाल भवन में स्थापित सभी टायलेट्स की सफाई प्रतिदिन अच्छी गुणवत्ता के टॉयलेट्स क्लिनर से दो बार अथवा इससे अधिक बार आवश्यकता अनुसार करना अनिवार्य है।

10.2–कार्यालय के समस्त तलों पर स्थित टॉयलेट्स एवं वॉश बेसिन, डस्टबिन, फर्श, छत, दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, ग्रिल्स,सिलिकोन आदि की सफाई का विशेष ध्यान देते हुए एक मानक स्तर की सफाई व्यवस्था करना तथा फिनायल का प्रयोग करते हुए व नैप्थैलिन की गोलियां डालकर जीवाणु रहित करना व ओडोनिल लगाकर उचित रखरखाव करना अनिवार्य है।

10.3–प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री आई.एस.आई मार्क हो तथा विषैले तथा घातक रसायन के बारे में सफाई कर्मियों को पर्याप्त जानकारी हो। इनको सुरक्षित स्थान पर रखना होगा तथा इनके संपर्क में आने होने पर अथवा कोई दुर्घटना आने पर पीड़ित को दिये जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे भी सफाई कर्मियों एवं सुपरवाईजर आदि को ज्ञान होना चाहिये।

10.4–सामग्री की पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता पूर्ण एवं हॉलमार्क सामग्री की व्यवस्था निविदाकार को स्वंय करनी होगी सफाई व्यवस्था से संबंधित सामग्री इस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी की देखरेख में सुरक्षित रखवाये जाने की, माह के प्रथम सप्ताह तक की बाध्यता होगी तथा सामग्री का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है अथवा नही, देखना सफाई प्रभारी तथा उनके सहयोगियों का दायित्व होगा । यदि सामग्री निरीक्षण के समय कम पाई जाती है तो उतनी सामग्री की दुगनी कीमत भी समानुपातिक रूप से देयक से कटौत्रा कर ली जावेगी । उपलब्ध कराई जानी वाली सफाई व्यवस्था तथा अन्य कार्य के लिए सामग्री **सूची परिशिष्ट–ब पर संलग्न है** ।

10.5–ठेका फर्म को अपने कामगारों की सुरक्षा हेतु हाथों के लिये ग्लब्स, उंचाई पर कार्य करते समय हेल्मेट तथा सेफ्टी बेल्ट इत्यादि स्वयं लाना होगी एवं कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिये निविदाकार उत्तरदायी होगा।

11 भुगतान की शर्ते

11.1–नियुक्त किए कामगारों को श्रम विभाग व्दारा जारी न्यूतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूतम वेतन देने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की स्वंय की होगी । सभी कामगारों को प्रतिमाह भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान का कटोत्रा किया जावेगा । निविदादाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह, फर्म द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक कामगारों के ई.पी.एफ. एलॉटमेंट नंबर की सूची, कार्य प्रारंभ करने के दो माह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराएगी।

11.2–वेतन, भविष्य निधी,बीमा, भुगतान एंव एलॉटमेंट न. आदि की सत्यापित छायाप्रति प्रत्येक माह देयक के साथ निम्न प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में

देयक का भुगतान नही किया जावेगा । इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य अधिनियम श्रम कानून अथवा अन्य कानून जो भी लागू होंगे, का पालन करना अनिवार्य होगा एवं उसके पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी ।

कर्मचारी का नाम-	पिता का नाम	पता	आधार कार्ड न	छायाप्रति बैक खाता	कलर फोटो	कर्मचारी के हस्ताक्षर

इसी प्रकार जब भी कामगारों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाए अथवा पुराने सफाई कर्मियों कोहटाकर नए कर्मियों तैनात किए जाए तो कम अथवा ज्यादा होने वाले कामगारों की सूची उपरोक्तानुसार देना अनिवार्य है।

11.3— प्रस्तावित कार्य हेतु निविदाकार को अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

11.4—निविदाकार द्वारा कार्य के लिये मासिक देयक 03 प्रतियों में डिवीजनल कमाण्डेन्ट, एसडीईआरएफ भोपाल के नाम से जारी कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा, **जिसमे ईपीएफ**/ई0एस0आई0सी0 के जमा करने के सत्यापन के पश्चात ही भुगताना किया जावेगा।

11.5—कार्य प्रारंभ होने के बाद फर्म को अपना प्रतिमाह के देयक का सत्यापन जिसमें कामगारों की उपस्थिति, सफाई सामग्री की उपलब्धता एवं संतोषजनक कार्य संबंधी टीप लिखे जाने वाले प्रारुप संलग्न कर, निविदा कार्य के प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराना निविदाकर्ता का उत्तरदायित्व होगा, तत्पश्चात देयक विभाग में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कार्य स्थल के अधिकारियों द्वारा असंतोष व्यक्त करने अथवा अनुपस्थिति इन्द्राज करने पर प्रस्तावित राशि देयक से काट ली जावेगी।

11.6—निविदादाता फर्म को अपने अधीनस्थ कामगारों का वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तरीख तक किसी भी वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा ताकि श्रमिकों द्वारा समय पर वेतन न मिलने के कारण हडताल अथवा काम बन्द करने की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। श्रमिकों द्वारा हडताल अथवा कामबन्द करने की स्थिति में उक्त अवधि का भुंगतान निविदाकार को नहीं किया जावेगा। श्रमिकों को वेतन नही मिलने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रतिदिवस के मान से 100/— रू पेनाल्टी के रूप में राशि देयक से काटी जावेगी । बैंक में भेजे जाने वाले पत्र की सत्यापित प्रति अगले देयक के भुगतान के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में देयक का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

11.7—कार्य के दौरान चैकिंग करने पर, यदि किसी स्थान का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाने अथवा लापरवाही एवं अनियमितताएं पाये जाने की स्थिाति में लिखित रूप से निविदाकार को अवगत कराया जावेगा एवं प्रति दिवस एवं प्रति स्थान रूपये 100/—रू की पैनल्टी स्वरूप कटौत्रा मासिंक देयक से किया जावेगा ।

11.8–अनुशासनहीनता/बिना पूर्व सूचना के, कामगारों की अनुपस्थिति/कर्तव्य स्थल की सुरक्षा में चूक/निर्देशों के पालन न करने पर राशि रु. 100 से 500 तक अर्थशास्ति प्रति प्रकरण लगाई जा सकेगी। जिसकी वसूली मासिक देयक के भुगतान से कटौत्रा कर की जावेगी। सार्वजनिक शौचालयो से किसी भी प्रकार की दुर्गंध आती है तो रू 200–/ दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

11.9–निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए समस्त कामगार अपने कर्तव्य स्थल पर किसी प्रकार के मादक पदार्थो/नशे/व्यसन का सेवन नहीं करेंगें यदि कर्तव्य स्थल पर किसी भी सुरक्षाकर्मी को मादक पदार्थो/बीड़ी सिगरेट या पान गुटखा का सेवन करते हुए पाया जाएगा, एंव अपने निर्धारित समय एंव कर्तव्य स्थल पर कर्मी के सोते हुए पाए जाने पर फर्म पर अधिकतम राशि रु. 100 का अर्थदण्ड के साथ, संबंधित कामगार को हटाना होगा।

11.10–यदि अपरिहार्य कारणों से <u>मुख्यालय की</u> लेखा शाखा द्वारा देयकों के भुगतान में विलंब होता है, ऐसी स्थिति में निविदाकार मुख्यालय के भरोसे न रहकर अपने कार्य को समय पर करके पारिश्रमिक का भुगतान स्वयं की व्यवस्था से करेगा ।

11.11–वित्तीय निविदा भरने में यह ध्यान रखा जाये कि निविदाकर्ताओ व्दारा कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आज की स्थिति में निर्धारित कलेक्टर दर के आधार पर निविदा भरी जायेगी तथा भविष्य में यदि कलेक्टर दर में जो भी परिवर्तन होगा, उस अंतर की राशि का भुगताना अतिरिक्त रूप से विभाग द्वारा किया जायेगा एवं दर में कमी किये जाने की अवस्था में उतनी राशि काट कर भुगतान किया जायेगा।

11.12 निविदा खुलने के पश्चात सफल निविदाकार को पारिश्रमिक के ई–पेमेंट प्रणाली से आवश्यक जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी तभी उस फर्म के द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान किया जाना संभव होगा।उपरोक्त उल्लेखित शर्तों को पूर्ण करने पर ही निविदाकारों का द्वितीय लिफाफा (प्रपत्र–2) निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोला जावेगा। जिसकी सूचना संबंधित निविदाकार को दी जावेगी।

12. स्थानांतरण और उप–देना

निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत के किसी भाग को न तो किसी अन्य को सुपुर्द कर सकेगा न ही स्थानांतरित कर सकेगा ।

13. अनुबंध की प्रभावी तिथि

निविदा के कार्य की अवधि अनुबंध हस्ताक्षर हो जाने के दिनांक से एक वर्ष तक रहेगी। यदि साफ–सफाई एवं अन्य कार्य स्तर संतोष जनक पाया जाता है/नही पाया जाता है तो अवधि परिवर्तन महानिदेशक होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के अनुमोदन उपरान्त घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

14. कीमत

निविदाकार को दरें एक मुश्त प्रस्तुत करना होगी जिसमें श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए निर्धारित वेतन, समस्त प्रकार के सेवा शुल्क जैसे कर्मचारी भविष्य निधि,बीमा / जीएसटी / सर्विस चार्ज / सामग्री की राशि आदि सम्मिलित होगी । एक बार उल्लेखित दरों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। शासन द्वारा दरों में किए गए परिवर्तन मान्य होगें। प्रस्तुत दर राशि अंको के साथ शब्दो में भी आवश्यक रूप से लिखी जावे। निविदा में अंकित दर स्वीकृत होने पर उसी दर पर ही कार्य किया जवेगा। विभाग द्वारा पृथक से कोई भुगतान नही किया जावेगा।

15.ऑनलाईन जमा करने के निर्देश

15.1–सभी निविदाकारों "ई "निविदा भरने / प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हताये,शर्ते एंव संबंधित प्रकिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानीपूर्वक पढ़ ले। यदि कोई शंका / प्रश्न हो अथवा जानकारी प्राप्त करना हो तो निविदाकार कार्यालयीन समय में डिवीजनल कमाण्डेन्ट, एसडीईआरएफ भोपाल से सम्पर्क कर समाधान / निराकरण करवा सकते है

15.2–इस निविदा में वही निविदाकार भाग लेगे जो सभी आवश्यक शर्तो को पूरा करते हो ।

15.3–निविदाकार यदि उचित समझता तो निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकता है । उपस्थित न रहने की स्थिति में किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। निविदा का प्रथम लिफाफा खुलने के पश्चात परीक्षण किया जावेगा तथा परीक्षण पर उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदा का द्वितीय लिफाफा खोलने पर विचार किया जावेगा। निविदा खोलने की दिनांक / समय में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना निविदाकर्ता को दी जायेगी।

16.1– परिशिष्ट "ब" के अनुसार सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये एवं दरें बाजार मूल्य से कम नही होनी चाहिये।

16.2– वित्तीय निविदा की दरे अव्यवहारिक नही होना चाहिये अन्यथा की स्थिति मे वित्तीय निविदा पर विचार नही किया जायगा।

16.3– निविदाकार का स्थानीय कार्यालय भोपाल होना चाहिये, इस हेतु निविदकार को नगर निगम से जारी गुमास्ता की कॉपी निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अनुबन्ध–16 (अनुबंध पत्र का प्रारूप)

होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश भोपाल

(रूपये1000/– के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

16.1–मैं अनुबंध आज दिनांक -------- को एक और (जिसे इसमें इसके पश्चात अनुमोदित प्रदायक कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति में जहां सन्दर्भ के अनुकूल हो उसके वारिस, उत्तराधिकारी, पार्टनर, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जावेंगे) और दूसरी ओर महानिदेशक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबधंन म.प्र. भोपाल जहां संदर्भ के अनुकूल हो उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकित_सम्मिलित समझे जावेंगे, के बीच सम्पन्न किया गया है।

16.2–चूकि अनुमोदित प्रदायक डिविजनल कमाडेन्ट एसडीईआरफ हेतु संलग्न अनुसूची /संविदा उल्लेखित दरों इसके साथ संलग्न संविदा के पत्र तथा संविदा के प्रतिबंधों में दिये गये नियमों के अनुसार तथा संविदा प्रपत्र में उल्लेखित दरों से प्रदाय करने के लिए डिविजनल कमाण्डेट एसडीईआरएफ भोपाल के साथ सहमत हो गया है।

16.3–अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य है:–

होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबधंन मुखालय के द्वारा इसके साथ संग्लन अनुसूची में उल्लेखित दरों से किये जाने संदायों के बदले में अनुमोदित सेवा (प्रदाता फर्म का नाम) संलग्न सूची में उल्लेखित कार्य तथा निविदा की शर्तों एंव प्रतिबधों में बताये गये नियमों के अंतर्गत यथावत रूप से प्रदाय करेगा । निविदा और इस अनुबंध के साथ भी संलग्न है, का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लिया हैं, इस अनुबंध का अंग समझी जावेंगी और इस अनुबंध को निष्पादिक करने वाले पक्ष इनसे बाध्य रहेंगे।

16.4–महानिदेशक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन भोपाल एतद् द्वारा यह अनुबंध करता है कि यदि अनुमोदित सेवा प्रदाता उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत उक्त शर्तो तथा प्रतिबन्धों को मानेगा और उनका पालन करेगा तो डिविजनल कमाण्डेन्ट एसडीईआरएफ के द्वारा अनुमोदित प्रदायक को उक्त प्रतिबन्धों में उल्लेखित नियमों के अनुसार तथा समय पर देय राशि का संदाय करेगी या करवायेगी।

16.5–निविदा स्वीकृत होने पर किये गये अनुबंध के अनुसार संबंधित कार्य 07 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से प्रारंभ कर दिया जावेगा।

16.6– 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि की राशि डिविजनल कमाण्डेन्ट एसडीईआरएफ भोपाल के पक्ष में जमा कर दी गई है एवं यह राशि एक वर्ष की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जा सकेगी एवं यह राशि कुल एक वर्ष एवं दो माह तक वेध होगी।

अनुमोदित प्रदायक के हस्ताक्षर मय सील एंव हस्ताक्षर के	डिविजनल कमाण्डेन्ट एसडीईआरएफ भोपाल मध्यप्रदेश मय सील हस्ताक्षर व पदनाम मय सील
तारीख 2023	तारीख 2023
साक्षी कमांक –1	साक्षी कमांक –1
साक्षी कमांक –2	साक्षी कमांक –2

परिशिष्ट—अ

<u>व्यावसायिक निविदा का प्रोफार्मा</u>

क्र	कर्मचारियों का विवरण	संख्या	(यूनिट रेट) दर कर रहित	एपलीकेबल टेक्स	कुल योग कर सहित
1	सफाई कर्मी —अकुशल (03पुरूष 03महिला)	06			
2	सुपरवाईजर	01			
3	सफाई सामग्री परिशिष्ट—ब पर दर्शित सूची अनुसार	01			
4	प्रति माह की दर समस्त करो सहित —				
5	वर्षिक दर समस्त करो सहित —				

नोटः — उपरोक्त कर्मचारियो की कार्य के स्थान का निर्धारण समय —समय पर डिविजनल कमाण्डेन्ट एसडीईआरएफ द्वारा किया जायेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एंव सील

परिशिष्ट—ब

आवश्यक सामग्री :

सक	सामग्री का नाम	नग	सक	सामग्री का नाम	नग	सक	सामग्री का नाम	नग
1	फूल झाड़ू	6	11	सेनेटाइजर	2 ली	21	रस्सी पोछा	06
2	लग्गा झाड़ू	6	12	हैंडवास लूज	2 ली	22	बड़ी पन्नी छोटी पन्नी आव यकतानुसार	06
3	सर्फ पावडर	5 केजी	13	सुपड़ी	06	23	कास्टिक सोडा	2
4	आडोनिल	12	14	यूनिर	12	24	जाला झाड़ू	6
5	ब्रश छोटे	12	15	साबुन	12	25	टाविल छोटी	12
6	फिनाईल गोली	12 पैकेट	16			26	वायपर छोटे बड़े आवश्यकतानुसार	06
7	एसिड	5 लीटर	17	हिट ब्लेक	2	27	उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सामग्री जो भवन की साफ—सफाई हेतु प्रयोग में लाई जा सके।	
8	पोंछा	06	18	हिट लाल	2	28		
9	हार्पिक	12	19	हेण्ड ग्लोब (दस्ताने)	150	29		
10	रूम फ्रेशनर	05	20	क्लीचिंग पाउडर	2 किग्रा			

निविदाकर के हस्ताक्षर एवं सील